

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, जिला-बालोद (छ.ग.)

गंगा नगर, राजस्व कालोनी परिसर, ग्राम झलमला, विकासखण्ड व जिला बालोद
ई-मेल आई डी - dpsw.baalod@gmail.com/dds.bld-cg@gov.in

क्रमांक / 1354/स.क.02/नि.क./2022-23
प्रति,

बालोद, दिनांक - 10/08/2022

1. समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय
जिला-बालोद (छ.ग.)
2. समस्त प्राचार्य,
शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
जिला-बालोद (छ.ग.)
3. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, जिला-बालोद (छ.ग.)
4. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
जिला-बालोद (छ.ग.)

विषय :- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों को "क्षितिज अपार संभावनाएं" योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के संबंध में।

—0—

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 के तहत 18 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग (संलग्नक में अंकित) बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। सामान्यतः आर्थिक अभाव एवं दिव्यांगता के कारण मेधावी दिव्यांग बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना है।

योजना की पात्रता एवं शर्तें निम्नानुसार होगी—

1) योजना की पात्रता :-

1. 40% या उससे अधिक के दिव्यांगजन।
2. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
3. आई.टी.आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) में नियमित विद्यार्थी।
4. चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी।

2) योजनान्तर्गत लाभ :-

1. आई.टी.आई./पोलिटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
2. चिकित्सा/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थियों को राशि 12,000/- रुपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

3) आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

1. आई.टी.आई., पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) चिकित्सा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाईन आवेदन करना पड़ेगा। ऑनलाईन आवेदन www.sw.cg.gov.in में उपलब्ध है।

क्रमशः.....

प्रमाणिकपुरी-
धुव मै डेम
16.08.2022

2. आवेदन ऑनलाईन नहीं कर पाने की स्थिति में आवश्यक अभिलेख के साथ ऑफलाईन आवेदन संयुक्त/उपसंचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। संयुक्त/जिला कार्यालय, उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग का दायित्व होगा कि वे ऑनलाईन प्रविष्ट करें। (ऑफलाईन आवेदन प्रारूप एक संलग्न अनुसार है।)
3. दिव्यांगजनों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आई.टी.आई., पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) चिकित्सा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु महाविद्यालयीन/संस्था के प्राचार्य/प्रमुख से नियमित छात्र होने को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
5. उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् छात्रों को उतने ही वर्ष की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी जितने वर्ष का पाठ्यक्रम हो।

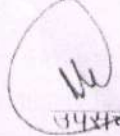
समस्त जनपद व नगरीय निकायों में निवासरत् उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् दिव्यांगजनों तक उक्त योजना का समुचित प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक दिव्यांग छात्र-छात्रा को प्रोत्साहन राशि से लाभान्वित किया जा सके।

उक्त योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु जिले के समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय एवं शासकीय/अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य विभिन्न संकायों में अध्ययनरत् नियमित दिव्यांग विद्यार्थियों को इस योजना से अवगत कराते हुए जिला कार्यालय, उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, जिला बालोद को लाभान्वित विद्यार्थियों की सूची वांछित दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराये।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

पृ० क्रमांक / 355 / स.क.02 / नि.क. / 2022-23
प्रतिलिपि :-

1. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, रायपुर छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला बालोद को सादर सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, जिला बालोद छ.ग. को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।


उपसंचालक
समाज कल्याण
जिला-बालोद (छ.ग.)
बालोद, दिनांक 10/08/2022


उपसंचालक
समाज कल्याण
जिला-बालोद (छ.ग.)

संलग्नक

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अंतर्गत दिव्यांगता के प्रकार :-

1. मानसिक मंदता
2. ऑटिज्म
3. सेरेब्रेल पाल्सी
4. मानसिक रोगी
5. श्रवण बाधित
6. मूक बधिर
7. दृष्टि बाधित
8. अल्प दृष्टि
9. अस्थि बाधित
10. कुष्ठ रोग से मुक्त
11. बौनापन
12. तेजाब हमला पीड़ित
13. मांसपेशी दुर्विकास
14. स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी
15. बौद्धिक दिव्यांगता
16. मल्टीपल स्कलेरोसिस
17. पार्किन्सन रोग
18. हीमोफीलिया
19. थैलेसीमिया
20. सिकल सेल रोग
21. बहु दिव्यांगता।

प्रारूप-1

उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि
प्रदाय योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक	
आवेदन दिनांक	
1 दिव्यांगता पंजीयन क्रमांक	
2 आवेदन का प्रकार	नवीन ☐ नवीनीकरण ☐
3 कक्षा	
संस्था/शाला/महाविद्यालय का नाम	
4 आवेदक का नाम	
प्रथम नाम	
मध्य नाम	
उपजाति/सरनेम	
5 पिता/अभिभावक का नाम	
6 आवेदक/अभिभावक का पता	
मकान नं./ग्राम	
गली/पोस्ट ऑफिस	
तहसील	
जिला	
पिन कोड	
मोबाईल नं.	+9 1
7 लिंग	पुरुष ☐ महिला ☐ तृतीय लिंग ☐
8 जन्मतिथि	
9 उम्र	वर्ष/माह/दिन
10 वर्ग	अजा ☐ अजजा ☐ अपिव ☐ सामान्य ☐
11 अल्पसंख्यक	हाँ ☐ नहीं ☐

12 दिव्यांगता का प्रकार	
13 दिव्यांगता का प्रतिशत	
14 आधार कार्ड नंबर	
15 भुगतान का तरीका	बैंक पोस्ट ऑफिस
बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	
शाखा का नाम	
खाता क्रमांक	
आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड	

16 संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण

क्रं.	दस्तावेज	जारी दिनांक	जारीकर्ता
1	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र		
2	यू.डी.आई.डी.		
3	निवास प्रमाण-पत्र	— (तहसीलदार द्वारा जारी)	
4	जाति प्रमाण-पत्र	— (तहसीलदार द्वारा जारी)	
5	आय प्रमाण-पत्र	— (तहसीलदार द्वारा जारी)	
6	आधार कार्ड		
7	पिछले उत्तीर्ण वर्ष की अंकसूची		
8	कक्षा 10वीं अंकसूची		
9	कक्षा 12वीं अंकसूची		
10	वर्तमान कक्षा की फीस रसीद		
11	बैंक पासबुक	— खाता क्रमांक एवं IFSC CODE स्पष्ट हो।	

—: घोषणा पत्र :-

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

पिता/पति निवास

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर बताई जानकारी मेरे ज्ञात के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो शासन नियमानुसार कार्यवाही कर सकेगा।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

कारण टीप के साथ अनुमोदनकर्ता का टीप :-

(अनुमोदनकर्ता का हस्ताक्षर व पदमुद्रा)

नाम -

पदनाम - संस्था प्रमुख

प्राप्त आवेदन-पत्र की अभिस्वीकृति

श्री/कुमारी

पता का आवेदन पत्र आज

दिनांक/...../..... को कार्यालय में

..... छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त हुआ।